संख्याः 187 /XXVI/एक (15)/2010

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग–1

देहरादून, दिनांकः 14 अक्टूबर, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना आयोग के अधिष्ठान हेतु अनुपूरक बजट स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त के पत्र सं0–584/XXVII(1)/2011, दिनांक 07.10.2011, पत्र सं0–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31.03.2011 एवं आपके पत्र सं0–1290/तीन–1(6)/रा0यो0आ0/2011, दिनांक 10.10.2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना आयोग के अधिष्ठान हेतु अनुदान संख्या–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–092–अन्य कार्यालय–03–नियोजन अधिष्ठान–01–वेतन, 06–अन्य भत्ते, 07–मानदेय की मद में कुल धनराशि ₹ 1720 हजार (₹ सत्रह लाख बीस हजार मात्र) व्यय हेतु संलग्नक में अंकित विवरणानुसार निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

प्रतिबन्धः–

1– वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2011–12 की नई मदों के कियान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा।

2– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कडाई से किया जायेगा। मितव्ययता के सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाए तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3– यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय नहीं किया जाए जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो तथा उस प्रकरण में व्यय के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

4– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फ्रेजिंग (त्रैमास के आधार पर) नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5– यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2– उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–07 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्षक–3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–092–अन्य कार्यालय–03–नियोजन अधिष्ठान–01–वेतन, 06–अन्य भत्ते, 07–मानदेय के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 187 (1)/XXVI/एक (15)/2010, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त विभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एस0 शाही)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या– 187 (1)/XXVI/एक (15)/2010, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 का संलग्नक।

अनुदान संख्या–07 लेखाशीर्षक	(धनराशि हजार ₹ में) आयोजनेत्तर
3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें 092–अन्य कार्यालय 03–नियोजन अधिष्ठान 01–वेतन 06–अन्य भत्ते 07–मानदेय	 1000 500 220
योग (धनराशि ₹ सत्रह लाख बीस हजार मात्र)	1720

(पी0एस0 शाही)
अनुसचिव।